उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन

6725. **श्री ईश दत्त यादव :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लेवी चीनी और अन्य वस्तुओं की मांग तथा उनकी राज्य को वास्तविक आपूर्ति का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों को रियायती दरों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रधानमंत्री की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कतिपय खण्डों की पहचान कर ली गई है ?

नागरिकआपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई चावल तथा गेहूं की मात्रा तथा उन्हें आबंटित मात्रा नीचे दी गई है :—

(हजार मी. टन में)

वर्ष	चावल		गेहूं	
	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन
1993–94	738.40	536.60	1295.40	972.60
1994–95	549.60	549.60	1185.60	1185.60

मिट्टी का तेल कम मात्रा में उपलब्ध उत्पाद है और केन्द्रीय पूल में स्टाक उपलब्ध होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसका वितरण राज-सहायता प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा इस प्रकार है :—

(हजार मी. टन में)

वर्ष	मात्रा
1993—94 . .	961.51
1994—95 . .	1014.67

(ग) जी, हां। इस समय उत्तर प्रदेश में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 145 ब्लाक आते हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए अभिप्रेत खाद्यान्न विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति क्विंटल 50/– रु० कम हैं।

आयातित पामोलीन की बिक्री

6726. **श्री अजीत जोगी :**

श्री मूलचन्द मीणा :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित पामोलीन की समस्त मात्रा बेच दी गयी है ;